राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3265/2008

सिराजुद्दीन पुत्र अब्दुल्ला (मृतक) अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

1/1. मो. इस्माइल, पुत्र सिराजुद्दीन
1/2. मो. इशाक पुत्र सिराजुद्दीन
1/3. मो. यूसुफ, पुत्र सिराजुद्दीन
1/4. जाकिर हुसैन, पुत्र सिराजुद्दीन
1/5. नासिर हुसैन, पुत्र सिराजुद्दीन
1/6. जमीला बेगम पत्नी सिराजुद्दीन खान
2. जमालुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
2. राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, सवाई माधोपुर।
3. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ।
4. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार, टोडाभीम तहसील, टोडाभीम जिला करौली
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुढाबांध तहसील नादौती जिला करौली।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री निर्भय तिवारी के साथ श्री अश्वनी भार्गव, श्री मनु भार्गव की ओर से
उत्तरदाता (ओं) के लिए	:	श्री नीरज बत्रा, जीसी

श्री राहुल लोढ़ा, एजीसी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

20/01/2025

1. यह याचिका जिला कलेक्टर (संक्षेप में 'डीसी'), सवाई माधोपुर द्वारा पारित दिनांक 07.05.1957 के आदेश और दिनांक 12.01.2000 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें अपील को समय बीत जाने के कारण खारिज कर दिया गया था और दिनांक 18.03.2006 के राजस्व बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा दूसरी अपील को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि खसरा संख्या 175/351 रकबा 44 बीघा में स्थित भूमि राजस्व अभिलेखों में महमूद हक के नाम पर दर्ज है। याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता और याचिकाकर्ता संख्या 2 के दादा श्री अब्दुल्ला खान ने जमीन दो हिस्सों में खरीदी थी। विचाराधीन जमीन का आधा हिस्सा 05.01.1955 को और दूसरा आधा हिस्सा 01.01.1958 को खरीदा गया था। डी.सी. ने दिनांक 07.05.1957 के आदेश के तहत आदेश दिया कि विचाराधीन भूमि वन विभाग के नाम पर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता द्वारा 13.01.1994 को डी.सी. के आदेश को चुनौती देते हुए सैंतीस वर्षों की देरी को माफ करने के आवेदन के साथ दायर अपील को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (संक्षेप में 'आरएए') ने समय बीत जाने के

कारण खारिज कर दिया था। बोर्ड द्वारा अपील में आरएए के आदेश को बरकरार रखा गया, इसलिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि डी.सी. द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में वर्ष 1994 में आया तथा उसके बाद अपील दायर की गई।

4. प्रतिवाद के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 07.05.1957 के आक्षेपित आदेश की प्रति न तो अपील में और न ही रिट में दाखिल की थी। तर्क यह है कि 30.07.2008 को प्रस्ताव का नोटिस जारी करते समय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को हलफनामों के साथ दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पिछले सोलह वर्षों से ऐसा नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि 1994 में डी.सी. के आदेश की जानकारी प्राप्त करने के बारे में दिए गए स्पष्ट बयान के अलावा, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता को जानकारी कैसे प्राप्त हुई।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और दलीलों का अवलोकन किया गया।

6. दिनांक 30.07.2008 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि तहसीलदार से प्राप्त दिनांक 02.08.1984 के पत्र के अनुसार, दिनांक 07.05.1957 का कोई आदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।

अधिवक्ता को दस्तावेज़ अभिलेख पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज तक कोई दस्तावेज़ अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देरी को क्षमा करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, लेकिन जहाँ देरी अत्यधिक हो, वहाँ सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। **ओरिएंटल एरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम एवं अन्य, 2010 (5) एससीसी 459** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया:-

> *"हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है। परिसीमा कानून लोक नीति पर आधारित है। विधायिका पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करने के उद्देश्य से परिसीमा निर्धारित नहीं करती, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि वे विलम्बकारी हथकंडे न अपनाएँ और बिना देरी किए उपाय प्राप्त करें। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय विधायिका द्वारा निर्धारित अवधि तक सक्रिय रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, परिसीमा कानून एक अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी क्षति के निवारण के लिए कानूनी उपाय का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही, न्यायालयों को विलंब को क्षमा करने का अधिकार भी प्राप्त है, यदि निर्धारित समय के भीतर उपाय का लाभ न उठाने के पर्याप्त कारण बताए जाते हैं।*

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और इसी प्रकार के अन्य क़ानूनों में प्रयुक्त "पर्याप्त कारण" शब्द इतना लचीला है कि न्यायालय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विधि को सार्थक ढंग से लागू कर सकें। यद्यपि, विलंब क्षमा के आवेदनों के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता, फिर भी इस न्यायालय ने अल्पावधि के विलंब को क्षमा करने में उदार दृष्टिकोण अपनाने और अत्यधिक विलंब होने पर कठोर दृष्टिकोण अपनाने की उचित रूप से वकालत की है"

*(*बल दिया गया*)*

8. अपील में चुनौती डी.सी. के दिनांक 05.05.1957 के आदेश को दी गई थी और जिस आदेश को अपील में निरस्त करने की मांग की गई थी उसकी प्रति अपील के साथ संलग्न नहीं की गई थी।

9. इस स्पष्ट बयान के अलावा कि याचिकाकर्ता को डी.सी. के आदेश की जानकारी वर्ष 1994 में प्राप्त हुई थी, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को आदेश की जानकारी वर्ष 1994 में प्राप्त हुई थी।

10. यह ध्यान देने योग्य होगा कि 30.07.2008 को मामले पर बहस करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि तहसीलदार के दिनांक 02.08.1984 के एक पत्र में कहा गया था कि अभिलेखों में दिनांक 07.05.1957

का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है। यह तर्क इस तर्क के विपरीत है कि याचिकाकर्ताओं को 1994 में डी.सी. के आदेश की जानकारी प्राप्त हुई थी।

11. एक और पहलू पर विचार किया जाना चाहिए कि विचाराधीन भूमि का आधा हिस्सा श्री अब्दुल्ला खान ने 01.01.1958 को खरीदा था, यानी डीसी द्वारा भूमि को वन भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित करने के बाद। यह तथ्य इस दलील को कमज़ोर कर देता है। दूसरे शब्दों में, श्री अब्दुल्ला खान को पता था कि यह भूमि वन भूमि है, फिर भी उन्होंने इसे खरीद लिया।

12. अपील को समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज करने के आदेश में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है।

13. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

रिया/40

क्या रिपोर्ट योग्य है : हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate